



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 858 / SEIAA/2022

Date: 24/6/22

प्रति,

1. जिला खनिज अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर,
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

2. श्री सुरजीत सिंह,
निवासी- हाल मुकाम, ए.एम. 111,
डी.डी. नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :- प्रकरण क्र. 6400/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरजीत सिंह, निवासी- हाल मुकाम, ए.एम. 111, डी.डी. नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 57000 घनमीटर प्रथम तीन वर्ष एवं 41610 घनमीटर अगले दो वर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 4173, ग्राम पारसेन, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स गुरु कृपा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री विशम्भर दयाल, निवासी- म.नं. 29, छत्ता मोहल्ला, भरतनगर, राजस्थान के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण पर 731वी SEIAA बैठक दिनांक 21.06.2022 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया

" प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 715वी बैठक दिनांक 25.03.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सुरजीत सिंह द्वारा मेसर्स गुरु कृपा स्टोन क्रेशर के नाम जारी अनापत्ति के संबंध में श्री सुरजीत सिंह द्वारा शपथ पत्र दिनांक 07.12.2020 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित न किये जाने का लेख किया गया है। अतः पूर्व परियोजना प्रस्तावक को SEIAA की आगामी बैठक में दी गई अनापत्ति के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु बुलाया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर द्वारा ई-मेल दिनांक 06.06.2022 के माध्यम से उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरित किये जाने हेतु अनापत्ति पत्र क्र. 10866 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा प्राप्त हुई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि खनिज अधिकारी एवं पूर्व परियोजना प्रस्तावक आगामी SEIAA बैठक में अनापत्ति के संबंध में पक्ष प्रस्तुत करें।

उपरोक्त निर्णयानुसार SEIAA की आगामी बैठक में अनापत्ति के संबंध पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

क्र.. 859 / SEIAA / 2022

भोपाल दिनांक 24/6/22

प्रतिलिपि:-

1. मेसर्स गुरु कृपा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री विशम्भर दयाल, निवासी- म.नं. 29, छत्ता मोहल्ला, भरतनगर, राजस्थान की ओर सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी